

प्रेषक,

श्रीमती नीरा यादव,
प्रमुख सचिव, शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. शिक्षा निदेशक (मा०)
उ० प्र०, लखनऊ।
2. निदेशक (बैसिक शिक्षा)
उ० प्र०, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-8

[तालिका : दिनांक 20 दिसम्बर, 2001]

विषय — प्रदेश के प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को चयन वेतनमान व प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया जाना।

महोदय,

उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या वे०आ०-2-1262/दस-2001-53/2001, दिनांक 20 जुलाई, 2001 संपादित शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-1432/दस-2001-53/2001, दिनांक 08 अगस्त, 2001 एवं शासनादेश संख्या-वे०आ०-2/1850/दस-2001-53/2001, दिनांक 03 सितम्बर, 2001 के प्रस्ताव-2(2) के अनुज्ञान में राज्यपाल महोदय सम्मक निम्नरोपरान्त बैसिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा के ऐसे शिक्षकों जो दिनांक 01 जुलाई, 2001 को सेवारत थे अथवा इसके उपरान्त नियुक्त हुये हो, को चयन वेतनमान व प्रोन्नति वेतनमान निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत करने की सार्थ स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(क) बैसिक शिक्षा —

- (1) प्राथमिक शिक्षकों को जो साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान अनुगम्य कराया जायेगा।
- (2) चयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोषजनक सेवापूर्ण करने के उपरान्त प्रोन्नत वेतनमान चयन वेतनमान के षट्पदार्कों की संख्या के 20 प्रतिशत की सीमा तक देय होगा।
- (3) प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत करने हेतु प्रत्येक वर्ष में एक बार बैसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जो शिक्षकों की उपयुक्तता पर विचार कर अपनी सल्लुति देगी। जिसके आधार पर नियुक्ति अधिकारी द्वारा प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।
- (4) उपरोक्त इच्छित बैसिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक, प्रधानाध्यापक प्राथमरी विद्यालय एवं प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शाब्द में भी अपनायी जायेगी।
- (5) यदि किसी वर्ष में प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत करने हेतु पदों की संख्या कम होती है तथा अर्ह अन्यथाओं की संख्या अधिक होती है तो शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों की अपने पद पर मौसिक नियुक्ति की तिथि के क्रमानुसार सूची बनाकर प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।

(ख) माध्यमिक शिक्षा —

- (1) माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/प्रवक्ताओं को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा तथा चयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर प्रांति वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।
- (2) अशासकीय सहायक द्वारा माध्यमिक विद्यालयों में प्रोवेंत वेतनमान स्वीकृत करने हेतु प्रत्येक वर्ष में एक बार जिला विद्यालय निरीक्षक की अध्यक्षता में तथा राजकीय विद्यालयों के एल०टी० शिक्षकों के लिए संबंधित मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एवं राजकीय विद्यालयों के प्रास्ताओं के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया जायेगा। जो शिक्षकों की क्षमता पर विचार कर अपनी संस्तुति देगी। इस संस्तुति के आधार पर संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा वेतनमान स्वीकृत करने से आदेश जारी किये जायेंगे।
- (3) सार्वजनिक एवं अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत एल०टी० शिक्षकों की प्रोवेंत वेतनमान उसी दरा में स्वीकृत किया जायेगा एवं एल०टी० शिक्षकों द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर ली गयी हो।
- (4) हाईस्कूल के प्रधानाचार्य को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।

2. उपर्युक्तानुसार चयन/प्रोवेंत वेतनमान की अनुम्यता के फलस्वरूप संबंधित शिक्षक का वेतन निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जायेगा—

- (1) दिनांक 01-01-1996 को चयन/प्रोवेंत वेतनमान में कार्यरत शिक्षकों का वेतन, शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-1432/वस-2001-53/2001 दिनांक 08 अगस्त, 2001 एवं शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-1430/वस-2001-53/2001, दिनांक 03 सितम्बर, 2001 जारी व्यवस्था से अर्थात्, सीधे संबंधित चयन/प्रोवेंत वेतनमान में निर्धारित किया जायेगा।
- (2) दिनांक 01-01-1996 के बाद की तिथि से चयन वेतनमान की अनुम्यता के मामले में सम्बन्धित शिक्षक का वेतन, साधारण वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर से, चयन वेतनमान में अगले प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।
- (3) दिनांक 01-01-1996 के बाद की तिथि से वैयक्तिक प्रोवेंत वेतनमान की अनुम्यता के मामले में सम्बन्धित शिक्षक का वेतन, चयन वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर से, प्रोवेंत वेतनमान में अगले प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।
- (4) अवशेषों का भुगतान शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-1432/वस-2001-53/2001, दिनांक 08 अगस्त, 2001 के प्रस्ताव-2(2) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

3. उपर्युक्त शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-1432/वस-2001-53/2001, दिनांक 08 अगस्त, 2001 के प्रस्ताव-1(2) एवं शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-1430/वस-2001-53/2001, दिनांक 03 सितम्बर, 2001 के प्रस्ताव-2(2) को उपर्युक्त सीमा तक संबंधित समझा जाये।

4. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जो उनके अशासकीय पत्र संख्या-ई-11-2200/वस-2001, दिनांक 20-12-2001 में प्राप्त हुई जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया

ह०/-

(नीरा पादव)

प्रमुख सचिव।

प्रेषक,

श्रीमती नीरा यादव,
प्रमुख सचिव, शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. शिक्षा निदेशक (मा०)
उ० प्र०, लखनऊ।
2. निदेशक (बैसिक शिक्षा)
उ० प्र०, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-8

[तल्लनक : दिनांक 20 दिसम्बर, 2001]

विषय — प्रदेश के प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को चयन वेतनमान व प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया जाना।

महोदय,

उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या वे०आ०-2-1262/दरा-2001-53/2001, दिनांक 20 जुलाई, 2001 संपादित शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-1432/दरा-2001-53/2001, दिनांक 08 अगस्त, 2001 एवं शासनादेश संख्या-वे०आ०-2/1850/दरा-2001-53/2001, दिनांक 03 सितम्बर, 2001 के प्रस्ताव-2(2) के अनुज्ञान में राज्यपाल महोदय सम्मक निम्नरोपरान्त बैसिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा के ऐसे शिक्षकों जो दिनांक 01 जुलाई, 2001 को सेवारत थे अथवा इसके उपरान्त नियुक्त हुये हो, को चयन वेतनमान व प्रोन्नति वेतनमान निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत करने की सार्थ स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(क) बैसिक शिक्षा —

- (1) प्राथमिक शिक्षकों को जो साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान अनुगम्य कराया जायेगा।
- (2) चयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोषजनक सेवापूर्ण करने के उपरान्त प्रोन्नत वेतनमान चयन वेतनमान के षट्पचारकों की संख्या के 20 प्रतिशत की सीमा तक देय होगा।
- (3) प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत करने हेतु प्रत्येक वर्ष में एक बार बैसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जो शिक्षकों की उपयुक्तता पर विचार कर अपनी सल्लुति देगी। जिसके आधार पर नियुक्ति अधिकारी द्वारा प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।
- (4) उपरोक्त इच्छिमा बैसिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक, प्रधानाध्यापक प्राथमरी विद्यालय एवं प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के सम्बन्ध में भी अपनायी जायेगी।
- (5) यदि किसी वर्ष में प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत करने हेतु पदों की संख्या कम होती है तथा अर्ह अन्यधिकों की संख्या अधिक होती है तो शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों की अपने पद पर मौसिक नियुक्ति की तिथि के क्रमानुसार सूची बनाकर प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।

(ख) माध्यमिक शिक्षा —

- (1) माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/प्रवक्ताओं को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा तथा चयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर प्रांति वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।
- (2) अशासकीय सहायक द्वारा माध्यमिक विद्यालयों में प्रोवेंत वेतनमान स्वीकृत करने हेतु प्रत्येक वर्ष में एक बार जिला विद्यालय निरीक्षक की अध्यक्षता में तथा राजकीय विद्यालयों के एल०टी० शिक्षकों के लिए संबंधित मण्डल के संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एवं राजकीय विद्यालयों के प्रास्ताओं के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया जायेगा। जो शिक्षकों की क्षमता पर विचार कर अपनी संस्तुति देगी। इस संस्तुति के आधार पर संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा वेतनमान स्वीकृत करने से आदेश जारी किये जायेंगे।
- (3) सार्वजनिक एवं अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत एल०टी० शिक्षकों की प्रोवेंत वेतनमान छठी दरा में स्वीकृत किया जायेगा एवं एल०टी० शिक्षकों द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर ली गयी हो।
- (4) हाईस्कूल के प्रधानाचार्य को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।

2. उपर्युक्तानुसार चयन/प्रोवेंत वेतनमान की अनुमत्या के फलस्वरूप संबंधित शिक्षक का वेतन निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जायेगा—

- (1) दिनांक 01-01-1996 को चयन/प्रोवेंत वेतनमान में कार्यरत शिक्षकों का वेतन, शासनादेश संख्या-बे०आ०-2-1432/वस-2001-53/2001 दिनांक 08 अगस्त, 2001 एवं शासनादेश संख्या-बे०आ०-2-1430/वस-2001-53/2001, दिनांक 03 सितम्बर, 2001 जारी व्यवस्था के अर्थात्, सीधे संबंधित चयन/प्रोवेंत वेतनमान में निर्धारित किया जायेगा।
- (2) दिनांक 01-01-1996 के बाद की तिथि से चयन वेतनमान की अनुमत्या के मामले में सम्बन्धित शिक्षक का वेतन, साधारण वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर से, चयन वेतनमान में अगले प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।
- (3) दिनांक 01-01-1996 के बाद की तिथि से वैयक्तिक प्रोवेंत वेतनमान की अनुमत्या के मामले में सम्बन्धित शिक्षक का वेतन, चयन वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर से, प्रोवेंत वेतनमान में अगले प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।
- (4) अवशेषों का भुगतान शासनादेश संख्या-बे०आ०-2-1432/वस-2001-53/2001, दिनांक 08 अगस्त, 2001 के प्रस्ताव-2(2) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

3. उपर्युक्त शासनादेश संख्या-बे०आ०-2-1432/वस-2001-53/2001, दिनांक 08 अगस्त, 2001 के प्रस्ताव-1(2) एवं शासनादेश संख्या-बे०आ०-2-1430/वस-2001-53/2001, दिनांक 03 सितम्बर, 2001 के प्रस्ताव-2(2) को उपर्युक्त सीमा तक संबंधित समझा जाये।

4. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जो उनके अशासकीय पत्र संख्या-ई-11-2200/वस-2001, दिनांक 20-12-2001 में प्राप्त हुई जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया

ह०/-

(नीरा पादव)

प्रमुख सचिव।

प्रेषक,

सचिव,
उ०प्र०, बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक— बे०शि०प०/ 16850 /2024-25 दिनांक— 09-1-2025

विषय :- प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण का सन्दर्भ ग्रहण करें जो परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में है।

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या 4307/15-8-3038/99 दिनांक 20.12.2001 द्वारा प्रदेश के प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को चयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोषजनक सेवापूर्ण के उपरान्त प्रोन्नत वेतनमान चयन वेतनमान के पदधारकों की संख्या के 20 प्रतिशत की सीमा तक दिये जाने के प्राविधान हैं।

उक्त के सम्बन्ध में विगत पाँच वर्षों में आपके जनपद में कितने अध्यापकों को चयन वेतनमान एवं प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया गया है के सम्बन्ध में निम्नवत् प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रारूप :-

जनपद का नाम	चयन वेतनमान		प्रोन्नत वेतनमान	
	कुल प्राप्त संदर्भ	चयन वेतनमान स्वीकृत संख्या	कुल प्राप्त संदर्भ	प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत संख्या

भवदीय



(राजेन्द्र सिंह)

उप सचिव,
उ०प्र०, बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।

3- विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के लिए चयन वेतनमान एवं पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य कराने की प्रक्रिया शासनादेश संख्या-4307/15-8-3038/99, दिनांक 20-12-2001 एवं इसी क्रम में निर्गत अन्य शासनादेशों के अनुसार होगी।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- वे0आ0-02-448/X-2018, दिनांक 23-7-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 3- अपर शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 4- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 5- वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 6- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
- 7- समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0।
- 8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-11 / वित्त (आय-व्यय) अनु0-2 / नियोजन अनु0-4
- 9- वित्त (वेतन आयोग) अनु0-1 एवं 2, उ0प्र0 शासन।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(समन्ध्र सिंह)
उप सचिव।

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 2/ अगस्त, 2018

विषय:-सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षण पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षकों को चयन/पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-बे0शि0प0/ले0सं0/वेतन/9544/2017-18, दिनांक 6-11-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण के संबंध में वित्त विभाग द्वारा शासनादेश सं0-67/2016/वे0 आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22-12-2016 निर्गत किया गया है, जिसमें चयन वेतनमान/पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण की व्यवस्था नहीं दी गयी है। अतः उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षकों को दिनांक 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में चयन वेतनमान/पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण की निम्नलिखित व्यवस्था किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

दिनांक 01-01-2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में चयन वेतनमान/पदोन्नति वेतनमान स्वीकृत होने पर संबंधित शिक्षक का वेतन अनुमन्यता की तिथि को मैट्रिक्स लेवल में प्राप्त हो रहे मूल वेतन की धनराशि में चयन वेतनमान/पदोन्नति वेतनमान हेतु अनुमन्य मैट्रिक्स लेवल में उपलब्ध ठीक अगली कोष्ठिका की धनराशि के स्तर पर निर्धारित किया जायेगा।

उदाहरण स्वरूप मैट्रिक्स लेवल-6 का शिक्षक जो चयन वेतनमान की अनुमन्यता की तिथि को मूल वेतन के रूप में ₹0 46200/- प्राप्त कर रहा था, उसे चयन वेतनमान के रूप में लेवल-7 अनुमन्य होने पर उसका मूल वेतन लेवल-7 में ₹0 47600/- के स्तर पर निर्धारित होगा। इसी प्रकार लेवल-7 के शिक्षक को पदोन्नति वेतनमान की अनुमन्यता की तिथि को मूल वेतन के रूप में ₹0 60400/- प्राप्त हो रहा था, उसे पदोन्नति वेतनमान में लेवल-8 अनुमन्य होने पर उसका मूल वेतन लेवल-8 में ₹0 62200/- के स्तर पर निर्धारित होगा।

2/..

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बैसिक)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बैसिक शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 2/ अगस्त, 2018

विषय:-सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षण पर उत्तर प्रदेश
बैसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षकों को चयन/पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य
होने पर वेतन निर्धारण किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-बे0शि0प0/ले0सं0/वेतन/9544/2017-18,
दिनांक 6-11-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में
वेतन निर्धारण के संबंध में वित्त विभाग द्वारा शासनादेश सं0-67/2016/वे0
आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22-12-2016 निर्गत किया गया है, जिसमें
चयन वेतनमान/पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण की व्यवस्था नहीं दी
गयी है। अतः उ0प्र0 बैसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षकों को दिनांक 01.01.2016 से
लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में चयन वेतनमान/पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य होने पर
वेतन निर्धारण की निम्नलिखित व्यवस्था किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष
स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

दिनांक 01-01-2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में चयन वेतनमान/
पदोन्नति वेतनमान स्वीकृत होने पर संबंधित शिक्षक का वेतन अनुमन्यता की तिथि को
मैट्रिक्स लेवल में प्राप्त हो रहे मूल वेतन की धनराशि में चयन वेतनमान/पदोन्नति
वेतनमान हेतु अनुमन्य मैट्रिक्स लेवल में उपलब्ध ठीक अगली कोष्ठिका की धनराशि के
स्तर पर निर्धारित किया जायेगा।

उदाहरण स्वरूप मैट्रिक्स लेवल-6 का शिक्षक जो चयन वेतनमान की अनुमन्यता
की तिथि को मूल वेतन के रूप में ₹0 46200/- प्राप्त कर रहा था, उसे चयन
वेतनमान के रूप में लेवल-7 अनुमन्य होने पर उसका मूल वेतन लेवल-7 में ₹0
47600/- के स्तर पर निर्धारित होगा। इसी प्रकार लेवल-7 के शिक्षक को पदोन्नति
वेतनमान की अनुमन्यता की तिथि को मूल वेतन के रूप में ₹0 60400/- प्राप्त हो रहा
था, उसे पदोन्नति वेतनमान में लेवल-8 अनुमन्य होने पर उसका मूल वेतन लेवल-8 में
₹0 62200/- के स्तर पर निर्धारित होगा।

2/..

(4) **गुप्तगंगा नदी —**

- (1) माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/प्रवक्ताओं को स्थावर वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर सामान वेतनमान स्वीकृत किया जाएगा तथा स्थान वेतनमान में 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर प्रगति वेतनमान स्वीकृत किया जाएगा।
- (2) अन्तराष्ट्रीय स्तरावली द्वारा माध्यमिक विद्यालयों में प्रोवेंति वेतनमान स्वीकृत करने हेतु प्रत्येक वर्ष में एक कम किया गया। विद्यालय निरीक्षण की अवधि में तथा माध्यमिक विद्यालयों में एलबीई विद्यार्थियों के लिए संबंधित मंत्रालय के संयुक्त शिक्षा निदेशक को अवधि में एवं राज्यीय विद्यालयों में प्राचार्यों को सम्बन्ध में निम्न निदेशक, माध्यमिक शिक्षा की अवधि में एक वर्ष का मकान दिया जाएगा। जो शिक्षकों की चातुर्वर्षिक परीक्षा पर अपनी संतुष्टि देंगी। इस संतुष्टि के स्वरूप पर संबंधित निदेशक इन्फॉर्मेटिव द्वारा वेतनमान स्वीकृत करने से आदेश जारी किया जाएगा।
- (3) सार्वजनिक एवं अर्ध-सरकारी विद्यालयों में लगभग एलबीई विद्यार्थियों को प्रोवेंति वेतनमान जारी दत्त में स्वीकृत किया जाएगा तथा एलबीई विद्यार्थियों द्वारा स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्त कर ली गयी है।
- (4) हाईस्कूल के प्रवक्ताओं को सामान वेतनमान में 13 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर सामान वेतनमान स्वीकृत किया जाएगा।

2. उपर्युक्तानुसार तालिका/टैबल में दर्शाए गए की अनुमति प्राप्त के फलस्वरूप संबंधित विद्यार्थी या छात्रा निम्नलिखित प्रक्रिया के अधीन निर्धारित किया जाएगा—

- (1) दिनांक 01-01-1998 को चयन/प्रवेश दस्तावेज़ों में उल्लिखित शिक्षण का पेटन नामांकन 1/01-01-1998-2-1432/वस-2001-03/2001 दिनांक 03 अप्रैल, 2001 एवं सामग्री 2/01-01-1998-2-1432/वस-2001-03/2001, दिनांक 03 सितंबर, 2001 को ही दस्तावेज़ों में उल्लिखित चयन/प्रवेश दस्तावेज़ों में निर्दिष्ट किया जायेगा।
- (2) दिनांक 01-01-1998 को बाद की तिथि से चयन दस्तावेज़ों की अनुमति के मामले में सम्बन्धित शिक्षण का पेटन नामांकन में प्राप्त पेटन स्तर से, चयन दस्तावेज़ों में अगले क्रम पर निर्धारित किया जायेगा।
- (3) दिनांक 01-01-1998 से बाद की तिथि से चयन दस्तावेज़ों की अनुमति के मामले में सम्बन्धित शिक्षण का पेटन नामांकन में प्राप्त पेटन स्तर से, चयन दस्तावेज़ों में अगले क्रम पर निर्धारित किया जायेगा।
- (4) अवशेषों का भुगतान दस्तावेज़ संख्या-1/01-01-1998-2-1432/वस-2001-03/2001, दिनांक 03 अप्रैल, 2001 के प्रस्ताव-2(2) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

3. एमएमएस काशन-देव बसु-दे०आ०-२-१४३२/एन-२०३१-५३/२००१, दिनांक ०३ अगस्त, २००१ से प्रसार-१(१) एवं काशन-देव बसु-दे०आ०-२-१६३०/एन-२०३१-५३/२००१, दिनांक ०३ नवम्बर, २००१ से प्रसार-२(२) को स्वयंसेवक सीमा तक सरोजित करना।

4. यह आदेश रित्त विभाग की सहमति से भी 14-12-2001 अवधि में पत्र संख्या-ई-11-2230/इस-2001, दिनांक 20-12-2001 में द्वारा भेजा जा चुका है।

संज्ञा

Co/-

(अ.स. पाठ्य)

प्रमुख सचिव ।

पृष्ठ,

श्रीमती नीर धादर,
प्रमुख सचिव, शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. शिक्षा निदेशक (मा०)
ब० प्र०, लखनऊ।
2. निदेशक (वैशिक शिक्षा)
ब० प्र०, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-8

[तलबतक : दिनांक 20 दिसम्बर, 2001]

विषय — प्रदेश के प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं की शिक्षकों की चयन वेतनमान व प्रोत्ति वेतनमान स्वीकृत किया गया।

संदर्भ,

उपयुक्त विषय पर शासनादेश संख्या वे०आ०-2-1262/दरा-2001-53/2001, दिनांक 20 जुलाई, 2001। संपादित शासनादेश संख्या वे०आ०-2-1432/दरा-2001-53/2001, दिनांक 03 अगस्त, 2001। एवं शासनादेश संख्या वे०आ०-2/1850/दरा-2001-53/2001, दिनांक 03 सितम्बर, 2001 के प्रस्त-2/2 के अनुज्ञप्त में उच्चतम न्यूनतम सम्यक् शिक्षासेपरान्त वैशिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा के ऐसे शिक्षकों जो दिनांक 01 जुलाई, 2001 को सेवागत थे अथवा इसके उपरान्त नियुक्त हुए तो, जो चयन वेतनमान व प्रोत्ति वेतनमान निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत करने की सार्थ स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(क) वैशिक शिक्षा —

- (1) प्राथमिक शिक्षकों को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान अनुगम्य कराया जायेगा।
- (2) चयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोषजनक सेवापूर्ण करने के अनुरोध प्रेषित वेतनमान चयन वेतनमान के पदवारकों की संख्या के 20 प्रतिशत की सीमा तक देय होगा।
- (3) प्रोत्ति वेतनमान स्वीकृत करने हेतु प्रत्येक वर्ष में एक बार वैशिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जो शिक्षकों की उपयुक्तता पर विचार कर अपनी सल्लुति देगी। जिसके आधार पर नियुक्ति अधिकारी द्वारा प्रोत्ति वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।
- (4) उपरोक्त इच्छित वैशिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत एवं प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक, प्रधानाध्यापक प्राध्वरी निराकरण एवं प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शाब्दिक में भी अपनायी जाएगी।
- (5) यदि किसी वर्ग में प्रोत्ति वेतनमान स्वीकृत करने हेतु पदों की संख्या कम होती है तथा अर्ह अन्यधिकों की संख्या अधिक होती है तो शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों की अपने पद पर मौखिक नियुक्ति की तिथि के क्रमानुसार सूची बनाकर प्रोत्ति वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।

(ख) माध्यमिक शिक्षा —

- (1) माध्यमिक शिक्षा अध्यापकों के शिक्षण/प्रवक्तृत्व की दक्षताएं बेतनमान में 10 वर्ष की संतुल्यता के साथ पूर्ण करने का समय बेतनमान स्वीकृत किया जाएगा तथा बेतनमान में 12 वर्ष की संतुल्यता के साथ पूर्ण करने पर प्रगति बेतनमान स्वीकृत किया जाएगा।
- (2) अंतरराष्ट्रीय स्तरावली द्वारा माध्यमिक शिक्षाओं में प्रगति बेतनमान स्वीकृत करने हेतु प्रत्येक वर्ष में एक बार शिक्षा विभाग निदेशों की अनुसूची में एक माध्यमिक शिक्षाओं में एलबीए शिक्षकों के लिए संबंधित माध्यम के संयुक्त शिक्षा विभाग की अनुसूची में एक माध्यमिक शिक्षाओं में प्राध्यापकों के समूह में शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा की अनुसूची में एक वर्ष की अवधि का गठन किया जाएगा। जो शिक्षकों की अनुसूची पर विचार कर अपनी संतुष्टि देंगी। इस संतुष्टि के आधार पर संबंधित निदेशों के माध्यम द्वारा बेतनमान स्वीकृत करने से आदेश जारी किया जाएगा।
- (3) सार्वजनिक एवं अन्तर्-संस्था शिक्षाओं में लागू एलबीए शिक्षकों की प्रगति बेतनमान एसी दसा में स्वीकृत किया जाएगा एवं एलबीए शिक्षकों द्वारा अनुसूचीगत कार्य में प्राप्त कर ली गयी है।
- (4) हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक को साधारण बेतनमान में 13 वर्ष की संतुल्यता के साथ पूर्ण करने पर समय बेतनमान स्वीकृत किया जाएगा।

2. उपर्युक्तानुसार दसा/प्रगति बेतनमान की अनुसूची के माध्यम से संबंधित शिक्षकों का बेतनमान निर्धारित किया जायेगा—

- (1) दिनांक 01-01-1996 को दसा/प्रगति बेतनमान में लागू शिक्षकों का बेतनमान आदेशों संख्या-बे०आ०-2-1432/दसा-2001-53/2001 दिनांक 09 अगस्त, 2001 एवं आदेशों संख्या-बे०आ०-2-1432/दसा-2001-53/2001, दिनांक 03 अगस्त, 2001 जारी की गयी है।
- (2) दिनांक 01-01-1996 को बाद की तिथि से दसा बेतनमान की अनुसूची के माध्यम से संबंधित शिक्षकों का बेतनमान साधारण बेतनमान में प्राप्त बेतनमान से, दसा बेतनमान में आने पर निर्धारित किया जाएगा।
- (3) दिनांक 01-01-1996 से बाद की तिथि से बेतनमान के माध्यम बेतनमान की अनुसूची के माध्यम से संबंधित शिक्षकों का बेतनमान दसा बेतनमान में प्राप्त बेतनमान से, दसा बेतनमान में आने पर निर्धारित किया जाएगा।
- (4) अध्यापकों का भुगतान आदेशों संख्या-बे०आ०-2-1432/दसा-2001-53/2001, दिनांक 09 अगस्त, 2001 के प्रस्ताव-2(2) में निर्धारित किया जायेगा।

3. उपर्युक्त आदेशों संख्या-बे०आ०-2-1432/दसा-2001-53/2001, दिनांक 09 अगस्त, 2001 के प्रस्ताव-1(2) एवं आदेशों संख्या-बे०आ०-2-1432/दसा-2001-53/2001, दिनांक 03 अगस्त, 2001 के प्रस्ताव-2(2) को अनुसूचित किया जायेगा।

4. यह आदेश शिक्षा विभाग की संतुष्टि से जो चले अन्तर्-संस्था एवं दसा-ई-11-2200/दसा-2001, दिनांक 20-12-2001 में प्राप्त हुई जारी किया जा रहे हैं।

भारतीय,

Co/-

(जी. ए. ए.)

प्रमुख अधिकारी।

पृष्ठ,

श्रीमती नीर धादर,
प्रमुख सचिव, शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. शिक्षा निदेशक (मा०)
ब० प्र०, लखनऊ।
2. निदेशक (वैशिक शिक्षा)
उ० प्र०, लखनऊ।

शिक्षा अनुमान-8

[तालिका : दिनांक 20 दिसम्बर, 2001]

विषय — प्रदेश के प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं की शिक्षकों को चयन वेतनमान व प्रोत्ति वेतनमान स्वीकृत किया गया।

संदर्भ,

उपयुक्त विषय पर शासनादेश संख्या वे०आ०-2-1262/दरा-2001-53/2001, दिनांक 20 जुलाई, 2001 संपादित शासनादेश संख्या वे०आ०-2-1432/दरा-2001-53/2001, दिनांक 03 जनवरी, 2001 एवं शासनादेश संख्या वे०आ०-2/1850/दरा-2001-53/2001, दिनांक 03 सितम्बर, 2001 के प्रस्ताव-2/2 के अनुज्ञात में राज्यपाल महोदय सम्बन्धित विभागेपरान्त वैशिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा के ऐसे शिक्षकों जो दिनांक 01 जुलाई, 2001 को सेवागत थे अथवा इसके उपरान्त नियुक्त हुए तो, को चयन वेतनमान व प्रोत्ति वेतनमान निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत करने की सार्थ स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(क) वैशिक शिक्षा —

- (1) प्राथमिक शिक्षकों को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान अनुगम्य कराया जायेगा।
- (2) चयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोषजनक सेवापूर्ण करने के अनुरोध प्रेषित वेतनमान चयन वेतनमान के पदवारकों की संख्या के 20 प्रतिशत की सीमा तक देय होगा।
- (3) प्रोत्ति वेतनमान स्वीकृत करने हेतु प्रत्येक वर्ष में एक बार वैशिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जो शिक्षकों की उपयुक्तता पर विचार कर अपनी सल्लुति देगी। जिसके आधार पर नियुक्ति अधिकारी द्वारा प्रोत्ति वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।
- (4) उपरोक्त इच्छित वैशिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत एवं प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक, प्रधानाध्यापक प्राध्वरी निरक्षर एवं प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक भी अपनायी जाएगी।
- (5) यदि किसी वर्ग में प्रोत्ति वेतनमान स्वीकृत करने हेतु पदों की संख्या कम होती है तथा अर्ह अन्यधिकों की संख्या अधिक होती है तो शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों की अपने पद पर मौखिक नियुक्ति की तिथि के क्रमानुसार सूची बनाकर प्रोत्ति वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।

(3) किसी भी वर्ष 01 जुलाई को प्रोन्नत वेतनमान प्राप्त कर रहे शिक्षकों की कुल संख्या घयन वेतनमान के पद धारकों की संख्या के 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि किसी वर्ष विशेष में पूर्व से प्रोन्नत वेतनमान प्राप्त शिक्षकों की संख्या घयन वेतनमान के पद धारकों की संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक हो जाती है तो उसे कम न किया जाये किन्तु नये पात्र शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान तभी उपलब्ध कराया जाये जब घयन वेतनमान के पद धारकों की संख्या के 20 प्रतिशत की सीमा में रिक्ति उपलब्ध हो। उदाहरण स्वरूप किसी संवर्ग विशेष में निम्न स्थिति हो सकती है -

वर्ष	घयन वेतनमान में पद धारकों की संख्या	प्रोन्नत वेतनमान हेतु अर्ह शिक्षकों की संख्या	टिप्पणी
1996	1000	200	-
1997	800+100 नये शिक्षक = 900	180	जिन्हें 1996 में प्रोन्नति वेतनमान अनुगम्य था उसे गथावत रखा जाये किन्तु किसी भी नये शिक्षक को प्रोन्नत वेतनमान अनुगम्य न कराया जाय।
1998	900+200 नये शिक्षक = 1100	220	यदि 1996 के उपयुक्त 200 शिक्षक अब भी प्रोन्नत वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं तो मात्र 20 शिक्षकों को ही प्रोन्नत वेतनमान उपलब्ध कराया जाये।
1999	880+250 नये शिक्षक = 1130	226	यदि 1998 के उपयुक्त 220 शिक्षकों को अब भी प्रोन्नत वेतनमान दिया जा रहा है तो मात्र 6 शिक्षकों को ही प्रोन्नत वेतनमान उपलब्ध कराया जा सकता है। किन्तु यदि प्रोन्नति वेतनमान प्राप्त कर रहे शिक्षक को सेवा नियुक्ति अथवा मृत्यु आदि के कारण से प्रोन्नत वेतनमान में रिक्ति होती है तो उस संख्या तक नये अर्ह शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान उपलब्ध कराया जा सकता है।

2. शासनादेश दिनांक 20 दिसम्बर, 2001 के अनुसार अनुगम्य घयन/प्रोन्नत वेतनमान उन्हें शिक्षकों को अनुगम्य होगा जो दिनांक 1-7-2001 अथवा बाद की तिथि में सेवारत हों। अतः घयन वेतनमान/प्रोन्नत वेतनमान की अनुगम्यता के निर्धारण हेतु संख्या की गणना में उन्हीं शिक्षकों को सम्मिलित किया जायेगा जो दिनांक 1-7-2001 तथा उसके बाद की तिथियों में सेवारत रहे हों।

3. कृपया उपर्युक्तानुसार शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान उपलब्ध कराने की कार्यवाही तुरन्त शुरू करने का आदेश है।

4. यह शासनादेश विलुप्त विभाग की सहमति से जो उनके आदेशाकीय सं० यू०ओ० रे०अ० 2-75/10-2003 दिनांक 18-2-2003 में प्रान्त हुई, जारी किये जा रहे हैं।

महोदय

ह०/- सत्यजीत ठाकुर
सचिव।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रोन्नत वेतनमान
संख्या 79/79/5-2003-67/2003

भाग 6

साथजीत, लखनऊ,

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

शिक्षा निदेशक (बालिक)

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संशुभान-5

लखनऊ, दिनांक 22 मार्च, 2003

विषय : प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने की संख्या में।

होदय

उपरोक्त विषयक वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या निर्धारण/7115-19/2002-2003 दिनांक 28 अगस्त, 2002 के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि संसाधन संख्या 4307/15-8-3038/99, दिनांक 20 दिसम्बर, 2001 के प्रसार (1) में बेसिक शिक्षा के शिक्षकों को प्रोन्नति वेतनमान दिये जाने की व्यवस्था है, जिसके क्रियान्वयन हेतु निम्न प्रक्रिया सम्पत्ती जाये।

(1) बेसिक शिक्षा परिषद के नगर/ग्रामीण क्षेत्रों के चयन, वेतनमान पद धारक सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय/सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को वरिष्ठता क्रम में प्रत्येक वर्ष के 1 जुलाई, के आधार पर पृथक-पृथक ज्येष्ठता सूची तैयार की जाये।

(2) चयन वेतनमान पद धारकों की संख्या के 20 प्रतिशत की सीमा एक ऐसे अध्यापकों को प्रोन्नत वेतनमान उपलब्ध कराया जाय जिन्होंने चयन वेतनमान में 12 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है।

प्रेषक,

सचिव,
उ०प्र०, बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक— बे०शि०प०/ 16850 /2024-25 दिनांक— 09-1-2025

विषय :- प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण का सन्दर्भ ग्रहण करें जो परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में है।

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या 4307/15-8-3038/99 दिनांक 20.12.2001 द्वारा प्रदेश के प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को चयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोषजनक सेवापूर्ण के उपरान्त प्रोन्नत वेतनमान चयन वेतनमान के पदधारकों की संख्या के 20 प्रतिशत की सीमा तक दिये जाने के प्राविधान हैं।

उक्त के सम्बन्ध में विगत पाँच वर्षों में आपके जनपद में कितने अध्यापकों को चयन वेतनमान एवं प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया गया है के सम्बन्ध में निम्नवत् प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रारूप :-

जनपद का नाम	चयन वेतनमान		प्रोन्नत वेतनमान	
	कुल प्राप्त संदर्भ	चयन वेतनमान स्वीकृत संख्या	कुल प्राप्त संदर्भ	प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत संख्या

भवदीय



(राजेन्द्र सिंह)

उप सचिव,
उ०प्र०, बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज। 5/8

प्रेषक,

सचिव,
उ०प्र०, बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक— बे०शि०प०/ 16850 /2024-25 दिनांक— 09-1-2025

विषय :- प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण का सन्दर्भ ग्रहण करें जो परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में है।

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या 4307/15-8-3038/99 दिनांक 20.12.2001 द्वारा प्रदेश के प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को चयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोषजनक सेवापूर्ण के उपरान्त प्रोन्नत वेतनमान चयन वेतनमान के पदधारकों की संख्या के 20 प्रतिशत की सीमा तक दिये जाने के प्राविधान हैं।

उक्त के सम्बन्ध में विगत पाँच वर्षों में आपके जनपद में कितने अध्यापकों को चयन वेतनमान एवं प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया गया है के सम्बन्ध में निम्नवत् प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रारूप :-

जनपद का नाम	चयन वेतनमान		प्रोन्नत वेतनमान	
	कुल प्राप्त संदर्भ	चयन वेतनमान स्वीकृत संख्या	कुल प्राप्त संदर्भ	प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत संख्या

भवदीय



(राजेन्द्र सिंह)

उप सचिव,

उ०प्र०, बेसिक शिक्षा परिषद,

प्रयागराज। 

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रोन्नत वेतनमान
संख्या 79/79/5-2003-67/2003

भाग 6

साथजीत, लखनऊ,

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

शिक्षा निदेशक (बालिक)

लखनऊ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सं. शुभा-5

लखनऊ, दिनांक 22 मार्च, 2003

विषय : प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने की संख्या में।

होदय

उपरोक्त विषयक वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या निर्धारण/7115-19/2002-2003 दिनांक 28 अगस्त, 2002 के संख्या में स्पष्ट करना है कि संसाधन संख्या 4307/15-8-3038/99, दिनांक 20 दिसम्बर, 2001 के प्रसार (1) में बेसिक शिक्षा के शिक्षकों को प्रोन्नति वेतनमान दिये जाने की व्यवस्था है, जिसके क्रियान्वयन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाये।

(1) बेसिक शिक्षा परिषद के नगर/ग्रामीण क्षेत्रों के चयन, वेतनमान पद धारक सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय/सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को वरिष्ठता क्रम में प्रत्येक वर्ष के 1 जुलाई, के आधार पर पृथक-पृथक ज्येष्ठता सूची तैयार की जाये।

(2) चयन वेतनमान पद धारकों की संख्या के 20 प्रतिशत की सीमा एक ऐसे अध्यापकों को प्रोन्नत वेतनमान उपलब्ध कराया जाय जिन्होंने चयन वेतनमान में 12 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है।

(3) किसी भी वर्ष 01 जुलाई को प्रोन्नत वेतनमान प्राप्त कर रहे शिक्षकों की कुल संख्या घयन वेतनमान के पद धारकों की संख्या के 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि किसी वर्ष विशेष में पूर्व से प्रोन्नत वेतनमान प्राप्त शिक्षकों की संख्या घयन वेतनमान के पद धारकों की संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक हो जाती है तो उसे कम न किया जाये किन्तु नये पात्र शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान तभी उपलब्ध कराया जाये जब घयन वेतनमान के पद धारकों की संख्या के 20 प्रतिशत की सीमा में रिक्ति उपलब्ध हो। उदाहरण स्वरूप किसी संवर्ग विशेष में निम्न स्थिति हो सकती है -

वर्ष	घयन वेतनमान में पद धारकों की संख्या	प्रोन्नत वेतनमान हेतु अर्ह शिक्षकों की संख्या	टिप्पणी
1996	1000	200	-
1997	800+100 नये शिक्षक = 900	180	जिन्हें 1996 में प्रोन्नति वेतनमान अनुगम्य था उसे गथावत रखा जाये किन्तु किसी भी नये शिक्षक को प्रोन्नत वेतनमान अनुगम्य न कराया जाये।
1998	900+200 नये शिक्षक = 1100	220	यदि 1996 के उपयुक्त 200 शिक्षक अब भी प्रोन्नत वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं तो मात्र 20 शिक्षकों को ही प्रोन्नत वेतनमान उपलब्ध कराया जाये।
1999	880+250 नये शिक्षक = 1130	226	यदि 1998 के उपयुक्त 220 शिक्षकों को अब भी प्रोन्नत वेतनमान दिया जा रहा है तो मात्र 6 शिक्षकों को ही प्रोन्नत वेतनमान उपलब्ध कराया जा सकता है। किन्तु यदि प्रोन्नति वेतनमान प्राप्त कर रहे शिक्षक की संख्या निवृत्त अथवा मृत्यु आदि के कारण से प्रोन्नत वेतनमान में रिक्ति होती है तो उस संख्या तक नये अर्ह शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान उपलब्ध कराया जा सकता है।

2. शासनादेश दिनांक 20 दिसम्बर, 2001 के अनुसार अनुगम्य घयन/प्रोन्नत वेतनमान उन्हें शिक्षकों को अनुगम्य होगा जो दिनांक 1-7-2001 अथवा बाद की तिथि में सेवारत हों। अतः घयन वेतनमान/प्रोन्नत वेतनमान की अनुगम्यता के निर्धारण हेतु संख्या की गणना में उन्हीं शिक्षकों को सम्मिलित किया जायेगा जो दिनांक 1-7-2001 तथा उसके बाद की तिथियों में सेवारत रहे हों।

3. कृपया उपर्युक्तानुसार शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का वाद करे।

4. यह शासनादेश विल्ट विभाग की सहमति से जो उनके अक्षराकीय सं० यू०ओ० रे०अ० 2-75/10-2003 दिनांक 18-2-2003 में प्राप्त हुई, जारी किये जा रहे हैं।

महोदय

ह०/- सत्यजीत ठाकुर

महोदय।